

प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण को नई गति, 243.81 करोड़ रुपए के 18 कार्यों की निविदा मंजूर

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में मजबूत और सुगम सड़क नेटवर्क के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए कुल 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 12 पुल

और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य शामिल हैं। निविदाओं की स्वीकृति के बाद अब चयनित निर्माण एजेंसियों को शीघ्र कार्यादेश जारी कर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
ने कहा है कि राज्य सरकार का
लक्ष्य छत्तीसगढ़ के विकास को नई

ऊर्चाई देने के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ना है। सड़कों और पुल केवल आवागमन के साधन नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक बदलाव के मजबूत आधार हैं। लगभग 244 करोड़ रुपए के इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में विकास के नए द्रुत खुरेलेंगे। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति



मिलने के साथ ही लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के

अवसरों तक पहुंच अधिक आसान होगी। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में मजबूत कनेक्टिविटी विकास की गति को और तेज करेगी।

बरसात की समाप्ति के बाद शुरू हुए वर्किंग सीजन का अधिकतम उपयोग करते हुए लोक निर्माण विभाग नए निर्माण कार्यों की निविदाओं को तेजी से स्वीकृति दे रहा है। पिछले महीने

ही सड़कों और पुलों के 24 कार्यों के लिए 672 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद अब करीब 244 करोड़ रुपए के 18 नए कार्यों की निविदाओं को स्वीकृत मिलने से प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार को और गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों और

मुठों के निर्माण को तेजी से
धराल पर उतारने के लिए विभाग
मूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।
इन 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों
को निविदाओं को मंजूरी देने के
बाद अब इन्हें शीघ्र शुरू कर
निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने
पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने
संबंधित कार्यापालन अभियंताओं
को चर्चनित निर्माण एजेंसियों एवं
उत्केदरों को तत्परता से कार्यादेश

जारी कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नदी-नालों पर नए उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बारहमासी संपर्क मजबूत होगा।

 **कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र.-9)**
पुलिस थाना के पास, बूढ़े कोठीनी, मोंवा, रायपुर
E-mail: 363118 - rmcczone9@gmail.com

पत्र क्र. [363118] न.प.वि./जोन क्र.-9/2026
रायपुर, दिनांक 16-04-2026

इशितहार

नामांतरित का.क्र. 36318

वाई का नाम -7. कुशाग्रभा ठाकरे वाई

एतद्व द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई
7 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी.
RPR226ZA3355A जो को निगम अधिलेख
श्री/श्रीमती **DR. VASIM RAZA** पिता/पति,
श्री/श्रीमती **SHAKIL AHMED** के नाम से
दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **अर्चना कुमारी**
पिता/पति, श्री/श्रीमती **मर्षी कुमार सिंह** ने
वस्तु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शायथ पत्र, दान पत्र,
हिस्साना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/
प्रमाणित विक्रय विलेख/ वशानुकूल अन्य
अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम
अधीनस्थ 1956 को प्राय 167 के तहत द्वारा
आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था
उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा
रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत
आवेदन लिखित में अपना दावा/प्रमाण
करें। निर्धारित समयबाधि परचात प्राप्त
दावा/आवेदन किसी प्रकार को अमान्य नहीं
का जाएगा। जिसके लिए यह कार्यालय
जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी करें—
श्री राजेश शर्मा
(जोन कांपिजन)
जोन क्र.कमांक-9

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र. -9)**
पुलिस थाना के पास, दुर्गे कॉलोनी, भोवा, रायपुर
E-mail ID - rmczone9@gmail.com

पत्र क्र. /36216/- न.प.नि.जो.क. -9/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नामांतरण क्र. 36216

वार्ड का नाम- 7- कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 7 स्थित भवन/पिच/जिम्मा प्रॉपर्टी आई.डी. RPR226F00602 जो को नाम अभिचर/श्री/श्रीमती **RAM KUMAR CHOUKSEY, SUDAMA BAICHOUKSEY** पिता/पति, श्री/श्रीमती **KASHIRAM CHOUKSEY** से, **रम कुमार चौकसे** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **सुनिता कुमार चौकसे** पिता/पति, श्री/श्रीमती **रम कुमार चौकसे** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, राख्य पत्र, दाव पत्र, हित्वाचना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख** संशुभाक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 का धारा 16 के तहत द्वारा आवेदन किया है। य्दि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्थानिक परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक स्थिति लिखित में भोवा दावा/रसुक्त करें। निर्धारित समवाधि पर्यन्त प्राप्त दावा/आवेदन पर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

**श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-9**

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
 रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36874/ न.पा.नि./जोन क्र./ 10/2026
 रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 36874

वाई का नाम - 56 - रे. अखंड देखित वाई
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई 56 स्थित नगर निगम/जिल्हा प्रांटी आई.डी. RPR446D00096 जो की निगम अखंड वाई श्री/श्रीमती **SUBHASH BHAVANKAR** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SUBHASH BHAVANKAR** के नाम से दर्ज है, विसको श्री/श्रीमती **MAHENDRA KUMAR TEJWANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAJENDRA TEJWANI** ने मृत्यु नामांतरण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विद्वाना नाम, राईस्ट्री विलेख के अनुसार/पंजीकृत दानपत्र/वंशावली/अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखता है, प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। परिशिष्ट समयावधि स्पष्टतः नहीं दाना/आपति पर किसी प्रकार की सुनवाई प्राप्त हो जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेनरुप शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (ज.ग.प)


कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र. - 10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com
पत्र क्र./36083/ न.पा.नि./जोन क्र. - 10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026
इशतिहार
नामांतरण प्र.क्र. 36083
वार्ड का नाम - 56 - ते. अखंड दीक्षित वार्ड
 तत्पश्चात् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड
 56 स्थित भवन/भूमि जिसका पंजीयन आई.डी. नं.
RPR651A00092 जो की निगम अधिलेखित
 श्री/श्रीमती **GOVT NAGAL VANDANA**
MISHRA पिता/पति, श्री/श्रीमती **LT. SURA.**
MISHRA के नाम से दर्ज है, जिसका
 श्री/श्रीमती **DINESH KUMAR NISHAD**
 पिता/पति, श्री/श्रीमती **MILAU RAM**
 वंशज/नरुक्रम अन्व अधिलेखित द्वारा प्राप्त
NISHAD ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, संपत्ति
 पत्र, दान पत्र, हितवादीना, राजस्व विलेख के
 अनुसार/ मलमा बिजलीनामा एवं शेष पत्र
 वंशज/नरुक्रम अन्व अधिलेखित द्वारा प्रमाण पत्र
 पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167
 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
 व्यक्ति/संस्था उपरोक्त ख्यामिल परिवर्तन में
 या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के
 प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना
 दावा/प्रमाण प्रस्तुत करें। पंजीयन समाप्तवादि पत्रका
 द्वारा दावा/आपत्ति पत्र किसी प्रकार की सुनवाई
 नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
 जिम्मेदार नहीं होगा।

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमली डाई पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र./36197/- न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशितहार

नागरांतरण प्र.क्र. 36197

वाई का नं. 54 - कामरेड सुबीर मुखर्जी बाई
एक दशरूप सूचित किया जाता है कि वाई 54 स्थित भवना/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RRP652M1926C** जो को निगम अधिलेख श्री/श्रीमती **JANKI SAHU** पिता/पिता, श्री/श्रीमती **ASHISH SAHU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **BASANTI BAI SAHU** पिता/पिता, श्री/श्रीमती **RAMNATH SAHU** ने मूल रूपमान पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विद्यमाना, रजिस्ट्री विवरण के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख/ वंशानुक्रम/ अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थानालिय परिसरों में हथका या दावा रखते हैं, प्रकाशा के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्विवाद समझौते/पंचायत शास्य दावा/अपति पत्र किसी प्रकार को सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कालान्तर विमोहदर नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक (10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र. -10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
 E-mail ID - rmczone10@gmail.com
 फ़ोन क्र./362720 न.म.नित्य/जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026
इशतिहार
 नामांतरित कर क्र. 36270
 आई का नाम- 50 - पं. विद्यावरण सुश्रुत बाई
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाई
 50 स्थित पत्रा/भूमि जिसका प्रपंटी आई.डी.
RP44064006391 जो को निगम अतिफल,
 श्री/श्रीमती **RUKHMANI NAIK** निगम,
 श्री/श्रीमती **U.K. NAIR** के नाम से दर्ज है,
 श्री/श्रीमती **SHEEY SHAJI**
SAJAKI प्रो.पति, श्री **SHREY SHAI**
JEKAKI के नाम से, **MATHAI** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ
 पत्र, दान पत्र, हिस्सापाना, रजिस्ट्री विवरण के
 अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विवरण/ वंशानुक्रम/
 अन्य अभिलेख द्वारा आप नगर पालिक निगम
 अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा
 आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था
 उपरोक्त ख्यामिल परिवर्तन में रुक या दावा रखते
 हैं, प्रकाशन के 15 दिन में भीतर प्रकरण क्रमांक
 सहित लिखित में आप दावा/प्रस्तुत करें।
 न्यायार्थ समयार्थीय परचना प्राण दावा/अपति पत्र
 किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी।
 जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
 -सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
 (जोन कमिश्नर)
 नगर क्रमांक-(10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-4)**
स बल्ल, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
-mail ID - rmczone4@gmail.com
फ़ोन क्र./36260/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2026.
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशतिहार

प्रांतांतरण प.क्र. 36260

ई का नाम-57-भगवती चरण शुक्ला वाई
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई
7 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रांपर्टी आई.टी.
RPR342000248 जो की निगम अभिलेख
आधार पर **MRS. TRIVENI BAI SAHU**
द्वारा पति, श्री/श्रीमती **LATE. AJU RAM**
SAHU के नाम से दर्ज है, जिसकी श्री/श्रीमती
श्री/श्रीमतराज साहिब सिता पति, श्री/श्रीमती राम
छत्तावन साहू ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र,
पथ पत्र, दान पत्र, दिव्यमाना, रिजिस्ट्री
श्री/श्रीमतराज साहू के अनुसार/प्राप्य पत्र, टेक्स रसीद,
सह पत्र, विक्रीनमा, परिचय पत्र व अन्य
स्तावेज/ वंशावृत्त/अन्य अभिलेख द्वारा
श्री/श्रीमतराज साहू निगम अधिनियम 1956 की
आर 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि
ईकी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन
हक या दान रखते हैं, प्रकाशक के 15 दिन
भीतर प्रकरण क्रमांक सिलखत लिखित
रूपमा दान/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवधि
रिश्तारत प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की
चुनौती नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह
कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करे-

(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-4
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीदोह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र./3627/1/ न.प.नि./जोन क्र./10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

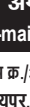
इश्तिहार

नामगतरण प्र.क्र. 3627/1

बाई का नाम - सुचित किय जात बाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाई
50 सिन्ध भवन/भूमि विसका प्रॉपर्टी आई.डी.
RPR446Q00596 को जो निगम अभिलेख
श्री/श्रीमती **RAJESH KUMAR SINHA**
पिता/पति, श्री/श्रीमती **PRABHAKAR**
SINHA के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती
SINHA DIXIT पिता/पति, श्री/श्रीमती
SURENDRA MOHAN DIXIT ने मृत्यु
प्रमाण पत्र, सह पत्र, शयन पत्र, दाह तह
हिल्यानामा, रिजिस्ट्री विलेख के अनुसार/
पंजीकृत विधाय विलेख/ वंशावृक्ष/ अन्य
अभिलेख द्वारा प्राच नगर पालिक निगम
अधीनस्थ 1956 को धारा 167 के तहत दावा
आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था
उपरोक्त स्वामित्व परितर्क में हक या दावा रखते
हैं, प्रकाशक के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक
सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें।
निर्धारित समयवाधि पश्चात नवीं/आर्यपति पर
किसी प्रकार को सुनवाई नहीं की जाएगी।
जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करने -
श्री मोनेश्वर धर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम**
रायपुर (जोन क्र-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36273 / न.पा.नि./जोन क्र./10-2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशितहार

नामांतरण पत्र क्र. 36273

वार्ड का नाम - 5 वीं. विद्यार्थन शुक्ल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 50 स्थित नगर/ग्राम/बिस्मा प्रॉपर्टी आई.डी. RPR445G00104 जो को निगर अधिनियम श्री/श्रीमती **RAKESH KUMAR SHARMA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAM SHAKAL SHARMA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MANOJ ALLWANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **DHARAM CHAND ALLWANI** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिलानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत विषय विलेख/ शेषानुक्रम/ अन्य अधिपत्र के द्वारा नगर पालिक निगर अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यह वार्ड व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रत्युत कर निर्दिष्ट समयावधि पर्यंत प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार के सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—श्रीमान जारी करें—
श्री मोनेवरु शर्मा
(जोन क्रमांक-10)
नगर पालिक निगर, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र - 10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र./36276/न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 36276

वाई का नाम- 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी जी

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई का 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रापर्टी आई.डी. **RPR652N01051** जो की निगम अधिलेखन श्री/श्रीमती **SONU MEHER** पिता/पति श्री/श्रीमती **MADHAV MEHER** के नाम से दर्ज है, जिसके श्री/श्रीमती **REMIS PIUS** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SW** **PIYUSH TIRKEY** ने मूल्य भ्रमण कर, सब, शेष, शपथ कर, दान कर, दिब्बाना नामा, रजिस्ट्रि विलेख के अनुसार **पूजीकर विक्रय विलेख**, वंशानुक्रम अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा अवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था अपरोक्त स्थान/मूल परितंत्र में हस्त दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रत्युत्तर लिखित समयायोजि परचा दावा/आपति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
**श्री योगेश्वर धर्मा
(जोन कामिशनर)**
जोन क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम**
रायपुर (जोन क्र - 10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36297/ न.प्र.नि./जोन क्र./ 10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशितहार

नामांतरित पत्र क्र. 36297

वार्ड का नाम - 54 – कारमेड हसुबी मुखर्जी वाई

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित **पवन/भूमि जिसका पॉपर्ट आई.डी. RPR6552N0281C** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **GEETA DEWANGAN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MOTILAL DEANGAN** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **SURJAN BARIHA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **HARADHAN BARIHA** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दावा, हिस्सा/नामा, राजस्व विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख/ संयुक्तकम/ अन्य अभिलेख** द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत दावा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकानिम 15 दिव के भीतर प्रमाण/क्राफ्ट सहित लिखित में अपना दावा/प्रत्युत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी करें—

श्री मोनेयवर शर्मा
(जोन क्र.कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम**
रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36308/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 36308

वाई का दावा - 52 - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वाई

पुनर् दावा सूचित किया जाता है कि वा. 52 स्थित पवन/पूँम जिसका प्रॉटीटी आई.ई. **RPR651J0385D** जो को निगम अधिलेख श्री/श्रीमती **TANYA GIDWANI** पिता/पिता श्री/श्रीमती **SANJAY GIDWANI** के नाम दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **JITENDR CHIMNANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **BHAGWANDAS CHIMNANI** ने मूल प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दावा विवेचनामा, राजस्वर विवेख के अनुसार **पंजीकृत द्वारा विवेख (उ. वंशानुक्रम)** अधिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत दावा उपदेन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था अवेदन स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखे, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रवरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत को निर्धारित समयावधि पुराना प्राप्त दावा/आपित न कि किसी प्रकार की सूचना नहीं की जाएगी जिसके लिए यह कार्यालय निम्नोदर नहीं होगा

-सूचना जारी करें-

श्री मोनेश्वर धर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडींगर पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

घर क्र./36309/ न.ग.नि./जोन क्र./ 10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नागरपालिका प्र.क्र. 36309
वार्ड कां. 52 - सर्वे. नं. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 52 स्थित भवन/भूमि बिस्कावा प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR446N0101** को जो निगम अधिलेख श्री/श्रीमती **CHETAN PATEL** पालिका, श्री/श्रीमती **KESHAV LAL PATEL** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **BINAYA KUMAR NAIK** पालिका, श्री/श्रीमती **SHANKAR NAIK** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शायच पत्र, दाख पत्र, हिव्यानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ वैजिकृत विक्रय विलेख/ वंशवृत्तनाम/ अन्य अधिलेख द्वारा घात नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का धारा 167 के तहत द्वारा अपवैतन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थापित परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमके सहित लिखित हैं। यदि कोई दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समययाधिक पचास प्रातः/दाया/आपत पर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं को जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
 (जोन कमिश्नर)
 (जोन क्रमांक-10)

नगर पालिका निगम, रायपुर (छ.ग.)


**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र. - 10)**
अन्तर्लीडीड पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./सेशन/ न.पा.पि./जोन क्र.- 10/2026
रायपुर, दिनांक 28-08-2026

इश्तिहार
नामानंतरण प्र.क्र. 36309
एक का नाम - 52, 302, राजेन्द्र प्रसाद वाई
वार्ड द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई
52 स्थित भवन/गृहमि स्विसका प्रॉपर्टी आई.डी.
RPFR446N010001 जो को निगम अभिलेख
श्री/श्रीमती KESHAV LAL PATEL (पिता/पति,
श्री/श्रीमती KESHAV LAL PATEL के नाम
से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती BINAYA
KUMAR NAIK (पिता/पति, श्री/श्रीमती
SHANKAR NAIK ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह
पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, विव्दाना नाम, रजिस्ट्री
के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
अनुशुक्र/संस्था अपरोक्त ख्यातिगत परिवर्तन में हक
या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर
प्रकरण क्रमांक 36311 सहित लिखित में अपना
दावा/प्रस्तुत करें। निर्यातित समवायधि पश्चात
दान दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई
नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय
जिम्मेदार नहीं होता।
-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कांशियरन)
जोन क्रमांक (10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडोह पानी टंकी, रायपुर
-mail ID - rmczone10@gmail.com

प्र.क्र. 36364/ न.पा.नि.जो.क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशतिहार

माँतरफल क्र. 36364

अ.क्र. नाम- 50 - पं. विद्याचरण शुक्ल वाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई 0 स्थित पत्राचार पत्रिका प्रोपर्टी आई.डी. PR446406N10277 जो की निगम अभिलेख क्रमांक 1. ALOKE KUMAR BOSE , HUMA BOSE, ABHISIKTA BOSE पिता/पति, श्री/श्रीमती UMAPADA BOSE, ALOKE KUMAR BOSE के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती 1. ALOKE KUMAR BOSE 2. ABHISIKTA BOSE पिता/पति, श्री/श्रीमती 1. UMAPADA BOSE 2. ALOKE KUMAR BOSE ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, श्राव्य पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, जपसी विवरण के अन्तर्गत मूल्य प्रमाण पत्र वा.पत्र / वंशानुक्रम अन्तर्गत अभिलेख क्रमांक नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को अन्तर्गत 167 के तहत द्वारा आवंटित किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थापित परिवार में कोई का दावा रखेगी है, प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्रकरण प्रमाणित लिखित विवरण में अपना वा.प्रस्तुत करें। निष्पत्ति समयावधि परेशता सह दान/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

**श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)**

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीखंड पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID :- rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र. 36365/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नागरपालिका प्र.क्र. 36365

वार्ड का नं. 50 - पं. विद्यासागर शुक्ल वार्ड
एक हट्टा दफ्तर स्थित किया जाता है कि वार्ड
50 स्थित भवन/भूमी जिसका प्रॉपर्टी आई.डी.
RPR446K00914 जो को निगम अभिलेख
श्री/श्रीमती **JAMNA DAS UDASHI**
पिता/पति, श्री/श्रीमती **LATE. KARAN DAS**
UDASHI के सन्तान से दर्ज है, जिसको
श्री/श्रीमती **MADHU NIRMALKAR**
पिता/पति, श्री/श्रीमती **SW. CHOITHRAM**
TOLWANI ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ
पत्र, दान पत्र, दिखानावा, रजिस्ट्री विलेख के
अनुसार **पंजीकृत विक्रय विलेख** वंशावृत्त/न
अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम
अधिनिगम 1956 को धारा 167 के तहत दाना
आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था
उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हस्त या दाना रखते
हैं, प्रकाश के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक
सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें।
निर्धारित समयावधि पसचात् प्राप्ति नवा/आपत्ति पर
किसी प्रकार को सुनवाई नहीं की जाएगी।
जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—श्रीचा जोरी धर्मा—
श्री मोनेश्वर पाने
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36376/ न.पा.नि./जोन क्र.-10-2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशितहार

नामांतरण पत्र क्र. 36376

वार्ड का नाम 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR65R20422A जो नगर निगम अधिनियम श्री/श्रीमती **SAVITA JHON JAGAT** पिता/पिता श्री/श्रीमती **JHON JAGAT** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **MADHU NIRMALKAR** पिता/पिता श्री/श्रीमती **HARRIRAMAN NIRMALKAR** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिस्सेनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख/ वंशानुक्रम/ अन्य** अभिलेख द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया अधिनियम 1956 का धारा 167 के तहत दान आवेदन किया है। परिवर्तन के अनुसार/संस्था प्रकान संवामिनि परिवर्तन में हक या दाना रखते हैं, उपायन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रमाण करें। निर्धारित समयवाची सुनवाई नहान/आपचित प्र क्रिसी प्रकार की प्रसुतात प्रहान की जाएगी। निस्सके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—श्रीना जारी करें—

मुद्रणीत प्रमाण शर्मा
(जोन क्र.क्र.क्र.)
जोन क्र.क्र.क्र. (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)


कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36017/ न.पि./जि.जे.क.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्टिहार

नामांतरण प्र.क्र. 36017

वार्ड का नाम - 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड नं० 54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्लॉट नं० आई.डी.ओ. RPR652M1903A जो को निगम अभिलेख नं० श्री/श्रीमती **PUTAN KUMHAR** पिता/पति श्री/श्रीमती **NRITAM KUMHAR** के नाम से दर्ज है, जिसका श्री/श्रीमती **VIMAL NAYAK** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RANVEER SINGH NAYAK** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, नह पत्र, रायपुर पत्र, दान पत्र, हब्यनाम, पंजीकृती विलेख अनुसार/ पंजीकृत विलेख विलेख/ वंशानुक्रम, उपोक्त स्थानिय विपरीतमें न हक या दावा जमा हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रमाण सहित लिखित समयावधि पर्यन्त प्राप्त दावा/अपील पत्र किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा

—सूचना जारी करें—

श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन क्रमांक-10)
जोन क्रमांक- (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./36178/1 न.पा.नि./जोन क्र.-10-2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशितहार

नामांतरण प्र.क्र. 36178

वाई का नाम - 54 - कामरेड सुधीर मुखर्जी वाई
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वाई **54** स्थित भवन/भूमि का प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR652R0332** का जो नाम अभिषेक शर्मा/श्रीमती **ABHJEET DUBEY** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SANTOSH DUBEY** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **HIMANJALI SONVANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **PUHUH SINGH** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हित्वाचना, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत दावा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त विलेख परिलक्षित में करण या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक निर्धारित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। संश्लिष्ट समयाधिकार परंपरा दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी—
श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-(10)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

CGHDB **कार्यालय खसना अधिकारी,**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, तिरसपुर भवन,
व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर,
email Id- ecoghdbzone1@gmail.com

आम - सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कबीर नगर कालोनी रायपुर में निर्मित **पूखड** भवन योजना के अंतर्गत दुकान **पूखड** (आवासीय) में से पूखड/भवन क्रमांक **पूखड - 2** श्रौमती आशाशा बेगम पति श्री **मोहम्मद फारूख खान** को बाढ़ाग्रय पूर्णमूल्य आधार पर आवंटित किया गया है। आवंटन द्वारा दिनांक **24/01/2020** के विक्रय प्रलेख निष्पादित कर लिया गया। आवंटन के उपरान्त के विक्रय हेतु दिनांक **24/01/2026** को निष्पादित विक्रय इकरारनामा को छात्रापति प्रस्तुत कर भवन **श्री/ श्रौमती नसीम अफरोरो पिता/पति श्री अनवर इब्राहीम शेख** के नाम से विक्रय करने के लिए विक्रय अनुमति के मांग की है।

अतः **फारूख** **भी** व्यक्ति शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था इत्यादि के रूप में **पूखड** भवन के विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आशुचक्र प्रकाश के 15 दिन के अन्दर समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./35692/ न.पा.नि./जोन क.-10/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 35692

वार्ड का नाम - 54 - कपरेड स्थित मुख्यजी वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित पनार/भूमि जिसकाका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR652M1638W अव को निर्माण अभिलेख श्री/श्रीमती **AVIVA BUILDERS AND DEVELOPERS DWARA PARTNER MOHAMMED IRFAN** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MO. IKRAM ULLA** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **प्रफ़लस सोनी** पिता/पति, श्री/श्रीमती **कमोदी सोनी** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिव्जानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत **दिक्रिय विलेख/ वंशानुक्रम** अन्व अभिलेख प्राप्त पत्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा उपरोक्त किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थानिय परिवर्तन में हक या दाना स्वको है, प्रकाशन के 15 दिव के भीतर दाना स्वको सहित लिखित में अपना दावा/परतुस्त करे। निर्वाचित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार को सुनवाई नहीं के जापगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना पत्र को करें-

श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक - (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (झ.ग.)

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अयोध्यासंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रखंड-02, शंकर नगर रायपुर
(छ.ग.), फोन. नं०- 0771-4903223
Email Id: ecoghzone2@gmail.com**

सम-02/सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पदासम्पन्न आवासीय योजनागत शंकर नगर सहकर्मक-02 रायपुर में स्थित सुप्रीम अटॉर्नीजी. फ्लैट क्र.फ्लैट क्र.फ्लैट क्र.-403, ब्लॉक-01, चतुर्थ तल, श्रीश्रीमती श्रीमती खट्वाणी प्राप्ति श्री अमलका खट्वाणी के नाम से आवंटित है, आवंटित द्वारा उक्त फ्लैट को संलग्नदिन दिनांक- 22/12/2016 पंजीकृत करतारे के उपरान्त फ्लैट को पूर्ण गृह निर्माण कार्य आधिपत्य के अधीन प्राप्त कर लिया है, बतौर नाम आवंटित श्रीमती खट्वाणी प्राप्ति श्री अमलका खट्वाणी निवासी-शंकर नगर, फ्लैट जे.आर.-403 ब्लॉक-01, चतुर्थ तल फ्लैट क्र-02 भवना नगर रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त फ्लैट को श्रेता श्रीमती मेहेरक मखीजा पति श्री चेतन मखीजा मखीजा, निवासी-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अयोध्यासंरचना विकास मण्डल के नाम से विक्रय करने के लिये उस कालांतर में अपना आवेदन एवं विक्रय दस्तावेज इकरारनामा, शपथ पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर आपत्त प्रमाण पत्र (NOC) को मांग को गृह है।

यदि उक्त फ्लैट के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति, शासनांक या अग्रदशासनासंस्था, निवासी, अथवा वित्तिय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो वे उस आपत्ति को सम्पदा प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्ति पत्र दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

**सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अयोध्यासंरचना विकास मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रखंड-02, शंकर नगर रायपुर
(छ.ग.), फोन. नं०- 0771-4903223
Email Id: ecoghzone2@gmail.com**

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र-1)**
तौथी नगर, खमतराई नीनी टंकी, रायपुर
-mail ID - rmczone1@gmail.com

क्र. 36362/ न.पा.नि./जोन क्र-1/20126
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इशतिहार

मांतरण प.क्र. 36362

जो क्र-4 यतिवतनलाल वाई

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड
स्थित भवन/घर जिसका पोस्टाई आई.डी.
RPR104007013A जो को निगम अंशिलेख
1/श्रीमती NIRMALA BEN PATEL
द्वारा/पति, श्री/श्रीमती W/O KISHOR
BHAI PATEL के नाम से रजि. है, जिसको
प.प्र.निय. 01.JAYANTILAL PATEL
2. NANJI BHAI PATEL पिता/पति,
श्री/श्रीमती S/O DEVSI BHAI PATEL ने
द्वारा प्रमाण, सह पत्र, शपथ पत्र, दान
पत्र, हित्वाचना, राजस्वी विलेख के अनुसार/
जीजीकृत अधिकृत व्याख्या विलेख/ वंशानुक्रम
अथवा लेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक
निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के
द्वारा हटाने आदेशन किया है। यदि कोई
व्यक्ति/संस्था उपरोक्त व्याख्यित परिवर्तन में
को या दावा रखते हैं, प्रमाणिक 15 दिन
के भीतर कार्यकारी प्रकाश सहित लिखित में
निगम दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि
रखे/संचालन दावा/आपति पत्र जारि प्रकार
नो सुवायें नहीं को जाणो। जिसके लिए
है कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री अंशुल शर्मा
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक: (1)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-1)**
संतोषी नगर, खमतराई भाटी टोकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone1@gmail.com

पत्र क्र./36366/न.पा.नि./जोन क्र.-1/2026
रायपुर, दिनांक 16-10-2026

इश्तिहार

नागरपालिका प्र.क्र. 36366
वाई कांड नं. 4 यतीयतयनलाई वाई

हस्ता प्रदाय खुलित किया जाता है कि वाई 4 यतीयतयन पवनपुन जिसका पापटी आड, डी. RPR1040F0013B जो को निगम अमिलेख श्री/श्रीमती NIRMALA BEN PATEL पिता/पति, श्री/श्रीमती W/O KISHOR BHAI PATEL के नाम से दूजे है, जिसको श्री/श्रीमती 01.JAYANTILAL PATEL 02. NANJI BHAI PATEL पिता/पति, श्री/श्रीमती S/O DEVSI BHAI PATEL ने स्वतु प्रमाण पत्र, रहस्य प्र, शय्य पत्र, दान पत्र, दिखाना/पत्र, गरीबपुटी विलेख के अनुसार/ प्रमाणित विक्रय विलेख/ वेशानुक्रम/ अजो अमिलेख द्वारा निगम पालिक निगम अधिषयन 1956 को याद को 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि को 167 के तहत आवेदन/संस्थान उगरोन ख्यामिल पविलन के भीतर या दारा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकाशन क्रमांक यहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करे। निमाति समयार्थीय पश्चात प्रदा दावा/आपति पर किसी प्रकार को सुनवाई नहीं को जाएगी। जिसके तिलय यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं कोना।

—सूचना जारी करे—
श्री अंशुल शर्मा
(जोन कमिषनर)
जोन क्रमांक: (1)
सारा पालिक निगम रायपुर (रा.)

पिता के साथ परेंट्स मीटिंग से लौटते समय ट्रैक्टर की चपेट में आई छात्रा मौके पर दर्दनाक मौत



शोक में डूबा विश्रामपुर- सूरजपुर नव सीखिए चला रहे हैं वाहन

गोपाल सिंह विद्दोही
सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- विश्रामपुर सूरजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर केशव नगर का समीप अपने पिता के साथ परेंट्स मीटिंग से घर वापस लौट रही छात्रा के ऊपर ट्रैक्टर का पिछला चक्का चढ़ गया जिससे



घटनास्थल पर दर्दनाक ही दर्द नाक मौत हो गई जिससे सूरजपुर विश्रामपुर सहित कार्मल स्कूल में शोक का वातावरण। उक्त दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय रिद्धिमा जैन आत्मजा पंकज जैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत ने पूरे कोयलांचल को दहला दिया है। बताए जाता है कि विश्रामपुर थाना क्षेत्र के



को मोड़ दिया, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और रिद्धिमा ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। ट्रैक्टर का पिछला पहिया छात्रा के सिर के ऊपर से चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि इन दोनों कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों से मकान निर्माण

दशहरा उत्सव के सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर बैठक आयोजित

रूट निर्धारण, यातायात नियंत्रण एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- दशहरा पर्व के सुव्यवस्थित एवं गरिमामय आयोजन को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के सभाक्षेत्र में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की उपस्थिति में सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दशहरा उत्सव के आयोजन से जुड़े विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान दशहरा उत्सव के लिए रूट निर्धारण, यातायात नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की सुविधा, सुगम आवागमन तथा



सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये। बैठक में दशहरा पर्व की गरिमा एवं परंपराओं के अनुरूप उत्सव आयोजित करने तथा आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने

विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सेवा समिति के अध्यक्ष श्री भीमसेन अग्रवाल, सचिव श्री रामकृष्ण ओझा, उपाध्यक्ष श्री मुकेश गर्ग, श्री श्रवण जैन सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कुदरगढ़ नवरात्रि मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच, अमानक खाद्य पदार्थों पर सख्ती

खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) - शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर कुदरगढ़ में आयोजित मेले में श्रद्धालुओं एवं आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न दुकानों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं उप संचालक के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी श्रीमती पुष्पा राज चौहान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती दीपा साहू ने मेले में संचालित

खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपयोग की अंतिम तिथि तथा साफ-सफाई की व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान एक दुकान में फ्रस्ट के 10 एकसपायरी पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को अखबार में रखकर परोसने या पैक करने से बचने तथा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने मिठाइयों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमत खाद्य रंगों का उपयोग करने तथा होटलों में खाद्य पदार्थ तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

Samsung Solve for Tomorrow 2026 में चार टीमों ने जीते 2 करोड़



Samsung India ने आज Samsung Solve for Tomorrow 2026 के विजेताओं की घोषणा की। इस साल प्रतियोगिता में 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के 648 शहरों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित Grand Finale में चार टीमों ने Samsung की ओर से कुल 2 करोड़ की इन्क्यूबेशन ग्रांट जीती, जिससे वे अपने तकनीक आधारित समाधानों को आगे बढ़ा सकेंगी। विजेता टीमों में — उत्तर प्रदेश के रायबरेली से QuantHunt, छत्तीसगढ़ के रायपुर से morphism, नई दिल्ली से InnoBotix और तेलंगाना के हैदराबाद से Somatrace। इन टीमों को FITT, IIT Delhi में मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन सहायता भी मिलेगी। इससे उन्हें अपने प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने और ऐसे समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी, जिन्हें बाजार में इस्तेमाल किया जा सके और जो भविष्य में स्टार्टअप का रूप ले सकें। भारत में इस साल के फाइनलिस्ट छह महीने की प्रक्रिया के बाद चुने गए। इस दौरान 135 शहरों में 184 Design Thinking वर्कशॉप आयोजित की गईं। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने गहन बूटकैंप, प्रोटोटाइप तैयार करने और अपने आइडिया की प्रस्तुति के मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने चार विषयों पर अपने समाधान पेश किए: भारत के लिए AI-आधारित जीवनशैली, स्वास्थ्य और शिक्षा, खेल एवं तकनीक और पर्यावरणीय स्थिरता। भारत में अपने पांचवें संस्करण में पहुंच चुका Samsung Solve for Tomorrow एक वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा है। 2022 से अब तक इसमें करीब 80,000 छात्र हिस्सा ले चुके हैं। इन छात्रों ने विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) का इस्तेमाल करके अपने समुदायों की समस्याओं को पहचाना और उनके समाधान विकसित किए हैं।

चार विजेता समाधान भारत के लिए AI-आधारित जीवनशैली: QuantHunt – रायबरेली, उत्तर प्रदेश: AI पर आधारित साइबर सुरक्षा समाधान, जो एन्क्रिप्शन में मौजूद कमजोरियों को पहचान करता है और संगठनों को क्राइम कंयूटिंग से जुड़े भविष्य के जोखिमों के लिए अपने डिजिटल सिस्टम तैयार करने में मदद करता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा: morphism – रायपुर, छत्तीसगढ़: AI सिस्टम, जो चेहरे के सूक्ष्म भावों और व्यवहार से जुड़े अन्य संकेतों का विश्लेषण करके ऑटिज्म से जुड़े व्यक्तियों को भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

कुदरगढ़ नवरात्रि मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की सघन जांच, अमानक खाद्य पदार्थों पर सख्ती

खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) - शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर कुदरगढ़ में आयोजित मेले में श्रद्धालुओं एवं आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य

सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न दुकानों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं उप संचालक के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी श्रीमती पुष्पा राज चौहान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती दीपा साहू ने मेले में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपयोग की अंतिम तिथि तथा साफ-सफाई की व्यवस्थाओं की



जांच की। निरीक्षण के दौरान एक दुकान में फ्रस्ट के 10 एकसपायरी पैकेट पाए

गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को अखबार में रखकर

परोसने या पैक करने से बचने तथा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने मिठाइयों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमत खाद्य रंगों का उपयोग करने तथा होटलों में खाद्य पदार्थ तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही बार-बार उपयोग किए गए तेल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के प्रति भी सचेत किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने समझावश स्थाप किया है कि आमजन के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मेले सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

वी ने भारत के पहले प्रीपेड फैमिली प्लान के साथ की एक नई शुरुआत

रायपुर: वी ने पेश किया अपनी तरह का पहला प्रीपेड ज़िंशान, जिसके तहत प्रीपेड ग्राहक वी ऐप पर अपना वी प्रीपेड फैमिली रूप बना सकते हैं, और देश में कहीं से भी डेटा शेयर कर सकते हैं, गारंटीड बचत और खास ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। वी के दृष्टिकोण 'वी पे सब हैं वीआईपी' - के अनुसार हर व्यक्ति को सभी महत्वपूर्ण फ़ायदे मिलने ही चाहिए। इसी वादे को आगे बढ़ाते हुए, वी लेकर आए हैं 'वी प्रीपेड फैमिली प्लान' भारत का पहला ऐसा प्लान जो पारंपरिक प्लान्स से बिल्कुल अलग है। इसके द्वारा परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर चाहे देश के किसी भी कोने में हों, वे एक-दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। वी द्वारा पेश की गई यह नई सुविधा प्रीपेड इस्तेमाल के पुराने तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। क्योंकि इससे यूजर्स को अपने परिवार के सदस्यों के साथ डेटा शेयर करने की सुविधा मिलती है, खासकर तब जब उनका डेटा खत्म होने वाला हो। आज की डिजिटल-फ़र्स्ट दुनिया में, अगर डेटा खत्म हो जाए तो आप कई जरूरी चीज़ें मिस कर सकते हैं। डेटा खत्म होने पर हो सकता है कि कोई जरूरी वीडियो कॉल बीच में ही छूट जाए, ऑनलाइन क्लास रुक जाए, मैप का एक्सेस न मिलने के कारण आप बीच रास्ते कहीं फंस जाएं, या जरूरी ऐप्स और सेवाओं का इस्तेमाल न कर पाएं। रोज़मर्रा के जीवन में परिवार के सदस्य कई तरह से एक-दूसरे की मदद करते हैं। तो अब मोबाइल डेटा भी किसी एक व्यक्ति के निजी रिसोर्स के रूप में सीमित नहीं रहा, वी का प्रीपेड फैमिली प्लान इसे बदलने जा रहा है। वी के सभी एक्टिव प्रीपेड ग्राहक वी ऐप का इस्तेमाल करके चार सदस्यों तक का एक फैमिली रूप बना सकते हैं, जिसमें एक प्राइमरी मेंबर (मुख्य सदस्य) और तीन सेकेंडरी मेंबर (अन्य सदस्य) हो सकते हैं।

भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास के साथ कदम मिलाने की जरूरत है; एमआईसीई क्षेत्र में विस्तार की काफी संभावनाएं हैं

मुंबई: भारत ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन और प्रदर्शनी बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन देश के सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन व आर्थिक क्षेत्र की क्षमता के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, इस अंतर को पाटना 'मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन' (एमआईसीई) उद्योग में भारत की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव और प्रबंध निदेशक श्री सुमन बिस्वा ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 'इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन' द्वारा आयोजित 'एमआईसीई इंडस्ट्री लीडर्स कनेक्ट' में बोलते हुए कहा, 'पिछले एक दशक में भारत के एमआईसीई बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। देश के पास अब ऐसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी स्थल हैं, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम हैं। जी-20 की अध्यक्षता सहित कई बड़े वैश्विक आयोजनों के अनुभव ने इसमें मदद की है। भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जैसी प्रमुख सुविधाएं यह दर्शाती हैं कि देश अब बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और व्यावसायिक आयोजनों की मेजबानी करने में अधिक सक्षम हो गया है। श्री बिस्वा ने आगे कहा, 'महाराष्ट्र कन्वेंशन ब्यूरो की स्थापना, मुंबई और महाराष्ट्र की वैश्विक एमआईसीई (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन) मानचित्र पर अधिक प्रतियोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कलर्स के कलाकारों ने नवरात्रि पर अपने त्योहारी विचार साझा किए

'शायद यही है प्यार' में प्रीति का किरदार निभाने वाली अदिति देव शर्मा ने कहा, नवरात्रि शांति का उत्सव है। यह हमारे भीतर मौजूद उस ताकत का जश्न है, जो हमें अपने डर पर जीत हासिल करने, बदलाव को अपनाने और खुद को चुनने का साहस देती है। प्रेम और रोशनी इस पर्व के मूल भाव हैं। और मेरा मानना ​​है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रोशनी की एक किरण बनकर आते हैं, जो हमारी जानीपहचानी दुनिया को बदल देते हैं और हमें जीवन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का मौका देते हैं। 'शायद यही है प्यार' में आरव, प्रीति के लिए वही रोशनी बनकर आता है। वह उसकी जिंदगी में तब आता है, जब वह इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही होती, और उसे प्यार के बारे में अपनी हर धारणा पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, वह उसे खुद को चुनने की खुशी और प्यार में आगे बढ़ने का साहस भी देता है। उनकी कहानी को खास बनाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ किसी से प्यार करने की कहानी नहीं है, बल्कि इस सफ़र में खुद को खोज लेने की भी कहानी है। और भेरे लिए यही बात नवरात्रि को भावना को खूबसूरती से दर्शाती है। यह उस महिला की शांति की कहानी है, जो अपनी ताकत को पहचानती है, अपने दिल की सुनती है और समाज द्वारा तय की गई सीमाओं को तोड़ने का साहस करती है। इस नवरात्रि, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उन लोगों का जश्न मनाएँ, जो हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि कभीकभी एक इंसान न सिर्फ दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है।

प्रदीप कुमार जैन : पत्रकारिता का राष्ट्रीय विश्वास, प्रेस काउंसिल में पुनः दायित्व

■ दैनिक विश्व परिवार के 50वें स्वर्णिम वर्ष में हार्दिक बधाई

रायपुर (विश्व परिवार)। पत्रकारिता में पद मिलना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन वर्षों तक विश्वास अर्जित करना और उसे बनाए रखना ही किसी पत्रकार की वास्तविक पूंजी है। श्री प्रदीप कुमार जैन की पत्रकारिता यात्रा इसी विश्वास, संस्कार और निरंतर कर्मशीलता की कहानी है। राष्ट्रीय स्तर पर राजा श्रेयांस पत्रकारिता पुरस्कार, से सम्मानित श्री जैन का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में पुनः सदस्य मनोनयन उनकी दीर्घ पत्रकारिता साधना और सामाजिक सरोकारों की राष्ट्रीय स्वीकृति है। 7 अक्टूबर 2026 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है कि जिस 'दैनिक विश्व परिवार' की पत्रकारिता परंपरा से श्री प्रदीप कुमार जैन जुड़े हैं, वह स्वयं अब अपनी यात्रा के स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वर्ष 1976 में झांसी से स्वर्गीय श्री कैलाशचंद्र जी द्वारा स्थापित 'दैनिक विश्व परिवार' ने पांच दशकों की यात्रा में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट

पहचान बनाई है। आज यह समाचार-पत्र झांसी और रायपुर दोनों स्थानों व दो राज्यों से प्रकाशित हो रहा है। स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर परिवार की इस गौरवपूर्ण पत्रकारिता परंपरा के प्रतिनिधि श्री प्रदीप कुमार जैन का राष्ट्रीय पत्रकारिता के सर्वोच्च संस्थगत मंचों में से एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में पुनः दायित्व प्राप्त करना निश्चित ही एक विशेष और गौरवपूर्ण संयोग है।

‘विश्व परिवार’—नाम में ही एक व्यापक दृष्टि

विश्व परिवार केवल एक समाचार-पत्र का नाम नहीं, बल्कि एक विचार और जीवन-दृष्टि है। इसमें ‘वसुधैव कुटुम्बकः’ की भावना के साथ प्राणीमात्र के कल्याण का व्यापक संदेश निहित है। ऐसे समय में जब पत्रकारिता में नकारात्मकता और सनसनी की प्रवृत्तियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, दैनिक विश्व परिवार ने सकारात्मक, रचनात्मक और समाज को जोड़ने वाली पत्रकारिता को अपनी विशिष्ट पहचान बनाया है।

इस परंपरा की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री कैलाशचंद्र जी स्वयं पत्रकारिता के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे और



उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष ,नगर पालिका झांसी के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर चुके थे। परिवार की पत्रकारिता यात्रा को आगे बढ़ाने में उनके पुत्रों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार जैन ने झांसी संस्करण में लगभग 15 वर्षों तक संपादक के रूप में अपनी सेवाएं देकर समाचार पत्र को विशेष ऊंचाइयों दीं और सामाजिक क्षेत्र में भी आपने विशिष्ट कार्य किए। उनके आकस्मिक निधन से पत्रकारिता का समाज सेवी चेहरा चिर निद्रा में विलीन हो गया। वर्तमान में श्री प्रदीप कुमार जैन झांसी के प्रधान संपादक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं रायपुर से भी दैनिक विश्व परिवार का

प्रकाशन निरंतर जारी है। इस प्रकार पांच दशक की यह यात्रा केवल एक समाचार-पत्र की यात्रा नहीं, बल्कि एक परिवार द्वारा पत्रकारिता के मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक दायित्व को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने की कहानी है।

संस्कारों से शुरुआत, अध्ययन से विस्तार

1 मार्च 1962 को जन्मे श्री प्रदीप कुमार जैन ने हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति शास्त्र में एम.ए., एल.एल.बी. तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। वर्ष 1983 में जर्मनी के बर्लिन स्थित अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। विविध विषयों में अर्जित यह शिक्षा उनकी व्यापक दृष्टि और अध्ययनशील व्यक्तित्व की आधारभूमि बनी।

दैनिक विश्व परिवार के संपादक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता को स्थानीय जनजीवन, सामाजिक सरोकारों और सकारात्मक संवाद से जोड़ा। आकाशवाणी के वातांकार के रूप में भी उन्होंने जनसामान्य से जुड़े विषयों को प्रभावी अभिव्यक्ति दी। साहित्य के क्षेत्र में उनकी सक्रियता उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का दूसरा

महत्वपूर्ण पक्ष है। ‘चेतन तीर्थ मुनिराज हमारे’, ‘उनके घर में आनंद ही आनंद है’, ‘विश्व परिवार बचालो’, ‘जय लॉकडाउन देव—आरती’, ‘सबसे नौने नौने बोलो’ और ‘मां की महिमा कैसे गाऊं’ जैसी काव्य रचनाएं उनकी साहित्यिक अभिरुचि को रेखांकित करती हैं।

सम्मान से राष्ट्रीय दायित्व तक

पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को राजा श्रेयांस पत्रकारिता पुरस्कार, कोटा से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 2018 से 2021 तक सदस्य के रूप में उन्होंने परिषद में पत्रकारिता से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव और सुझावों के माध्यम से सहभागिता निभाई।

अब, दैनिक विश्व परिवार के स्वर्णिम वर्ष में, उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में पुनः सदस्य मनोनीत किया जाना इस पूरी पत्रकारिता परंपरा के लिए विशेष गौरव का अवसर है। यह केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि उस विचार और संस्कार का सम्मान भी है, जिसकी शुरुआत 1976

में झांसी से हुई थी और जो आज झांसी से रायपुर दो राज्यों तक अपनी पहचान बनाए हुए है।

वे जैन पत्रकार महासंघ के संरक्षक भी हैं। 30 सितंबर 2026 को रायपुर में उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय जैन पत्रकार सम्मेलन उनकी संगठनात्मक और समन्वयकारी क्षमता का उदाहरण रहा। देशभर से आए पत्रकारों की सहभागिता वाले इस आयोजन ने पत्रकारिता के सामाजिक, सांस्कृतिक और समसामयिक सरोकारों पर सार्थक संवाद का अवसर दिया।

पद से बड़ी पहचान—सहजता

श्री प्रदीप कुमार जैन की उपलब्धियों के बीच उनकी सबसे आत्मीय पहचान उनका सरल, सहज और समन्वयकारी व्यवहार है। लंबे सार्वजनिक जीवन और अनेक दायित्वों के बावजूद संवाद में उनकी आत्मीयता बनी रही है। यही गुण उन्हें पद से आगे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है, जिसके साथ लोग सहजता से जुड़ते हैं।

उनकी यात्रा का सार यही है— पत्रकारिता विरासत में मिल सकती है, लेकिन विश्वसनीयता अर्जित करनी

पड़ती है। स्वर्गीय कैलाशचंद्र जी द्वारा रोपे गए पत्रकारिता के बीज को परिवार की अगली पीढ़ियों ने अपने श्रम और संस्कारों से सींचा। स्वर्गीय प्रवीण कुमार जैन का योगदान हो या प्रदीप कुमार जैन का सतत नेतृत्व—विश्व परिवार की पांच दशक लंबी यात्रा इसी सामूहिक साधना का परिणाम है। आज जब दैनिक विश्व परिवार अपने स्वर्णिम वर्ष का उत्सव मना रहा है, उसी समय प्रदीप कुमार जैन का राष्ट्रीय स्तर पर पुनः प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य मनोनीत होना इस यात्रा में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है।

श्री प्रदीप कुमार जैन को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्वास है कि उनका अनुभव, संतुलित दृष्टिकोण और सहज नेतृत्व पत्रकारिता की मर्यादा, सामाजिक उत्तरदायित्व को नई मजबूती देगा। विश्व परिवार की तरह उनकी कलम भी सदैव समाज को जोड़ने, सकारात्मक सोच जगाने और प्राणीमात्र के कल्याण की भावना को स्वर देती रहे—यही मंगलकामना है।

– राजेन्द्र जैन महावीर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जैन पत्रकार महासंघ

डंगनिया में महिला स्वसहायता समूहो निर्मित किये गोबर से दीये



■ नागरिकों हेतु 2 रूपए प्रति नग की दर पर विक्रय हेतु उपलब्ध

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 अंतर्गत गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में महिला स्वसहायता समूहो की महिलाओं ने दीपावली पर्व में उपयोग हेतु गोबर से निर्मित दीये बड़ी संख्या

में तैयार किये हैं, जो गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में 2 रूपए प्रति नग की दर पर नागरिको हेतु विक्रय के लिये उपलब्ध है। कोई भी नागरिक दीपावली में अपने घर, दुकान को रौशन करने नगर निगम के गोबर खरीदी केन्द्र डंगनिया में गोबर से निर्मित दीयो को निधार्ित दर पर विक्रय करने हेतु संपर्क कर सकता है।

सुयश सागर महाराज जी मुनिराज के 17 दीक्षा दिवस पर भक्तों ने आशीर्वाद ग्रहण किया

कोडरमा (विश्व परिवार)। विराजित परम पूज्य मुनिराज 108 श्री सुयश सागर महाराज जी का सत्संग मंगल चातुर्मास, झारखंड कोडरमा में चल रहा है। जहां छत्तीसगढ़ के लगभग 50 भक्तों ने पूज्य मुनि श्री जी के 17 वे दीक्षा दिवस पर नमोस्तु करते हुए भक्तों ने सामूहिक रूप से श्रीप्ल्त अर्पण किया श्रीपाल अर्पण करते हुए उपस्थित भक्तों ने मंगल आशीर्वाद दिया इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री जी के पद प्रक्षालन करने वालों में प्रमुख गृहस्थ जीवन की माता श्री मंजू देवी जी श्री सुमेरुचंद्र जैन हैदराबाद इंदरचंद्र अशोक कुमार बाकलीवाल, संगीता, नीलिमा अनिल कासलीवाल साधना जैन बाकलीवाल सुनीता दोषी डॉक्टर आरके दोषी मंजू जैन विक्रों जैन



दीपक जैन ललित जैन और दुर्गा भिलाई के अनेक भक्तगण ने भी पूज्य मुनि श्री जी के आज मंगल आशीर्वाद देने के साथ उनके मंगल प्रवचन का धर्म लाभ लेते हुए आहारचार्य संपन्न कराई। जहां पूज्यमुनि श्री जी ने झारखंड ,बिहार, हैदराबाद छत्तीसगढ़ वासियों के साथ उपस्थित भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए अपना आशीर्वाचन देते हुए कहा कि आप सभी भगवान महावीर स्वामी के

श्रद्धा दूरियों को मिटा देती है, धैर्य से खिल उठते हैं भक्ति के कमल : मुनि श्री समतासागर महाराज जी

कुण्डलपुर (म.प्र.) (विश्व परिवार)। जैन दर्शन में निमित्त और उपादान का सिद्धांत जीवन को समझने की महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान से होता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में निमित्त की सहयोगी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार नहीं पालना चाहिए। भौतिक दूरी होने पर भी श्रद्धा, स्मरण और अपनत्व के माध्यम से गुरु एवं आराध्य के सान्निध्य का अनुभव किया जा सकता है। यह विचार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समतासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में व्यक्त किए।

प्रवक्ता अविनाश जैन ‘विद्यावाणी’ एवं प्रचार मंत्री जयकुमार जैन ‘जलज’ ने बताया कि मुनि श्री ने निमित्त और



उपादान के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे जीवन में जो भी परिणाम होते हैं, उनमें उपादान कारण तो होता ही है, लेकिन उन परिणामों को प्रभावित करने में निमित्त भी सहयोगी बनता है। कार्य उपादान में ही होता है, परंतु उसकी जागृति और अभिव्यक्ति में निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार बड़ा निमित्त मिलने पर भी

उपादान की योग्यता और जागृति नहीं होने से अपेक्षित कार्य नहीं हो पाता। इसलिए निमित्त और उपादान के बीच विरोध नहीं, बल्कि मैत्री का संबंध समझना चाहिए।

उदाहरण देते हुए महाराज श्री ने कहा कि घड़ा मिट्टी से ही बनेगा, लेकिन मिट्टी अपने आप घड़े का रूप धारण नहीं कर लेती। इसके लिए कुम्हार का सहयोग आवश्यक है। इसी प्रकार रोटी का उपादान आटा है, लेकिन उस गंधने, बेलने और सेंकने की प्रक्रिया के बिना रोटी नहीं बन सकती। यदि निमित्त यह अहंकार करे कि उसके बिना रोटी नहीं बन सकती, तो वह आटे के बिना रोटी बनाकर दिखाए। वास्तविकता यह है कि उपादान और निमित्त दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है।

उन्होंने कहा कि संसार में बंधने का कारण भी हमारे अपने परिणाम हैं और संसार से मुक्त होने की दिशा में बढ़ने का आधार भी हमारे परिणाम ही हैं। हालांकि इन परिणामों को प्रभावित करने वाले निमित्त भी होते हैं। मुनि बनना, निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करना और रत्नत्रय के उक्तृक भावों की अभिव्यक्ति बाहरी निमित्तों से जुड़ी है, लेकिन केवल मुनि मुद्रा धारण कर लेने से उक्तृक परिणाम स्वतः उत्पन्न हो जाएं, यह आवश्यक नहीं है। बाहरी निमित्त और आंतरिक परिणामों के बीच समन्वय को समझना जरूरी है।

धर्मास्तिकाय का उदाहरण देते हुए मुनि श्री ने बताया कि कर्मों से मुक्त होने के बाद आत्मा में ऊर्ध्वमान का स्वभाव प्रकट होता है। फिर भी सिद्ध आत्मा लोक के अंत तक पहुंचकर वहीं

उठर जाती है, क्योंकि लोक के बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय जीव के गमन में सहायक निमित्त है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वभाव की अभिव्यक्ति में भी अनुकूल निमित्त की भूमिका होती है।

नदी के दोनों किनारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों किनारे एक-दूसरे से दूर होते हुए भी नदी के प्रवाह में सहयोगी होते हैं। इसी प्रकार निमित्त और उपादान एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि अपनी-अपनी भूमिका में सहयोगी हैं। इस सिद्धांत को समझने का उद्देश्य यही है कि कोई किसी पर अनावश्यक आरोप न लगाए और न ही अपने कर्तृत्व का अहंकार करे। जहां कर्तृत्व का अहंकार आता है, वहीं से व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है।

हमारी संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की परंपरा पूरे देश के लिए प्रेरणा : मुख्यमंत्री साय

■ सारसमाल में कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री, मांदर की थाप पर समाजजनों के साथ किया पारंपरिक कर्मा नृत्य

रायगढ़ (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का इतिहास शौर्य, स्वाभिमान, संघर्ष और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का गौरवशाली इतिहास है। हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि आराध्य है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की जो सीख आदिवासी समाज ने सदियों से अपने जीवन और परंपराओं के माध्यम से दी है, वह आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। कर्मा पर्व इसी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम सारसमाल स्थित माध्यमिक शाला के खेल



मैदान में उरांव समाज विकास समिति, छत्तीसगढ़-ओडिशा हिमगिर क्षेत्र द्वारा आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भगवान करम देव तथा आराध्य देव भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की जीवंत छटा उस समय और मनोहारी हो

उठी, जब कर्मा दलों के आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं मांदर लेकर समाजजनों के बीच पहुंचे। मांदर की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच मुख्यमंत्री ने महिला-पुरुषों के साथ कर्मा नृत्य किया। मुख्यमंत्री की आत्मीय और सहज सहभागिता से समाजजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया।

जनजातीय महापुरुषों का संघर्ष हमारी अमूल्य विरासत

मुख्यमंत्री श्री साय ने कर्मा तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर सहित अनेक जनजातीय महानायकों ने मातृभूमि, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण और विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। इससे जनजातीय समाज के विकास के प्रयासों को संस्थागत आधार और नई गति मिली।

मीनल चौबे के जन्मदिन पर महापौर निवास पहुंचकर लोगो ने दी बधाई

रायपुर (विश्व परिवार)। राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे को उनके जन्मदिन पर बुके प्रदत्त कर दिन भर महापौर निवास में बधाइयाँ देने वाले नागरिकों को ताँता लगा रहा। महापौर श्रीमती मीनल चौबे की महापौर निवास में पहुंचकर राज्यसभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा सहित रायपुर पश्चिम विधायक एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, नगर के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, नवयुवकों, आमजनों सहित नगर निगम रायपुर के सभी जोन कमिश्नरों, नगर निगम रायपुर के



अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुके प्रदत्त कर हार्दिक शुभकामनायें दीं। रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे को

पुरी के जगप्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी, भगवान श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिकृति प्रदत्त करते हुए उन्हें जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनायें दीं।

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री केदार कश्यप ने किए माँ दन्तेश्वरी के दर्शन



रायपुर (विश्व परिवार)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा प्रदेश सरकार के वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में शुक्रवार को बस्तर की आराध्य देवी माई दन्तेश्वरी का दत्तेवाड़ा में दर्शन किए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव तथा केबिनेट मंत्री श्री कश्यप ने मन्दिर परिसर पहुंचकर सर्वप्रथम माता दन्तेश्वरी की विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ

पूजा-अर्चना की तथा आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव और मंत्री श्री कश्यप ने पूजा-अर्चना के बाद कहा कि माँ दन्तेश्वरी बस्तर समेत समूचे छत्तीसगढ़ की जन-आस्था का केंद्र हैं और माई के आशीर्वाद से प्रदेश निरन्तर विकास व सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज

■ 2.05 लाख से अधिक का हुआ निराकरण



रायपुर (विश्व परिवार)। आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुशासन की पहली कसौटी है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की निर्यात मॉनिटरिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं बातचीत कर जाना कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं।

नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपने अनुभव साझा किए और शिकायतों के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की।

2.31 लाख शिकायतें दर्ज, 88.85 प्रतिशत का हो चुका निराकरण

समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन्में से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई की जा

रही है। इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हेल्पलाइन के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निराकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों पर भी अच्छा कार्य हुआ है। इस व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक को वास्तविक रूप से राहत मिले और वह समाधान से संतुष्ट हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। नागरिकों से मिलने वाला फीडबैक ही इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आधार होना चाहिए।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है : मुख्यमंत्री साय



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान एसआईआर को लेकर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट कर दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा तथ्यात्मक और स्पष्ट जानकारी सामने रखे जाने के बाद एसआईआर को लेकर अब किसी प्रकार के भ्रम या संशय की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

केवीके कवर्धा में वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन प्रशिक्षण का शुभारंभ

■ वनांचल के 30 युवा कृषक सीखेंगे स्वरोजगार की तकनीक

कवर्धा (विश्व परिवार)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा द्वारा ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरल योजनांतर्गत वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 17 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. एस. एस. टुटेजा एवं निदेशक, अटारी, जबलपुर डॉ. एस. आर. के. सिंह के मार्गदर्शन तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, कवर्धा के प्रमुख डॉ. बी. पी. त्रिपाठी के



नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. राजीव श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कवर्धा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ. बी. पी. त्रिपाठी ने अतिथि एवं प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्यों तथा ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में

कहा कि वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन जैविक अपशिष्टों के सदुपयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा कृषि उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण युवा इस तकनीक को अपनाकर कम लागत में स्वरोजगार प्रारंभ कर सकते हैं तथा वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करते हुए इसे आजीविका के साधन के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।

यूसीसी के साथ आदिवासी समाज के साथ षड्यंत्र : बैज

■ बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी यूसीसी को लेकर चिंतित हैं



रायपुर (विश्व परिवार)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने पर तुली है। यूसीसी लागू करना आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलना इसी साजिश का हिस्सा है। प्रदेश के आदिवासी इस षड्यंत्र को समझ रहे, इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में यूसीसी लागू करने जा रही है। यूसीसी से राज्य के 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। यही कारण है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी समाज के लोग यूसीसी का विरोध कर रही है। यूसीसी कमेटी सरगुजा गयी तो वहां पर लोग इसके खिलाफ में थे। बस्तर में भी आदिवासी समाज यूसीसी को लेकर चिंतित है। राज्य में

आदिवासियों को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला है। प्रदेश में पेसा कानून लगा है। पांचवी अनुसूची भी है। आदिवासियों के लिए राजस्व संहिता में विशेष प्रावधान है। विशेष संरक्षित जनजातियां भी है। यदि यूसीसी लागू हो गया तो इन अधिकारों का क्या होगा? सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी से आदिवासियों को नुकसान होगा की नहीं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की जरूरत क्यों है, भाजपा बताये? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनैतिक एजेंडे को लागू करने जबरिया आदिवासियों पर यूसीसी थोप रही है, जिससे प्रदेश का आदिवासी समाज चिंतित है।

नवरात्रि के पावन अवसर पर वाई 18 को मिली बड़ी सौगात



■ अध्यक्ष निधि से बोर खनन का हुआ शुभारंभ

रायपुर (विश्व परिवार)। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर वाई 18 शिवपुरी जामुल के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो गया है। अध्यक्ष निधि से वाई 18 में बोर खनन कार्य का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में ईश्वर सिंह ठाकुर ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना

कर श्रीफल तोड़कर बोर खनन कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वाईवासी उपस्थित रहे।

वाई 18 में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी, जिससे विशेषकर गर्मी के दिनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बोर खनन के बाद वाई में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा, नवरात्रि के पावन

पर्व पर माता रानी के आशीर्वाद से वाई 18 की जनता को यह सौगात मिली है। जल ही जीवन है, और वाईवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष निधि से यह कार्य कराया जा रहा है और जल्द ही वाई की जल समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

वाईवासियों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि बोर खनन से जल समस्या दूर होगी।

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं अराजक गतिविधियों के विरोध में अभावपि का प्रदर्शन

■ अराजकता रोको: लोकतंत्र अपनाओ अभियान में सैकड़ों विद्यार्थी हुए शामिल

रायपुर (विश्व परिवार)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि), रायपुर महानगर द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, भ्रामक प्रचार एवं आंदोलन के नाम पर की जा रही कथित अराजक गतिविधियों के विरोध में अराजकता रोको : लोकतंत्र अपनाओ अभियान के अंतर्गत प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से एसआईआर एवं मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर भ्रामक जानकारी फैलाने, प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा के कथित प्रयोग, AI Impact Summit के दौरान यूथ कोरिडोर में



विरोध प्रदर्शन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव को थप्पड़ मारने की धमकी देने, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के साथ दुर्व्यवहार तथा दिल्ली में एनएसयूआई द्वारा संविधान की प्रस्तावना जलाने की घटना के विरोध में अपनी बात रखी गई। अभावपि ने कहा कि

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं एवं शांतिपूर्ण तरीकों के अनुरूप होना चाहिए।

इस अवसर पर अभावपि छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह मंत्री प्रथम राव पुराने ने कहा कि लोकतंत्र में

आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग जर्नहित, राष्ट्रहित, सामाजिक सुधार एवं सरकार की गलत नीतियों के विरोध के लिए होना चाहिए। आंदोलन के नाम पर हिंसा, धमकी, भ्रामक प्रचार, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा संवैधानिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों एवं संवैधानिक मर्यादाओं का भी पालन करे।

अभावपि रायपुर महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था का

अपमान करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। चाहे सरकार की गलत नीतियों का विरोध हो, विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा हो या सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना हो, हमारा मार्ग सत्य, संविधान, शांति एवं राष्ट्रहित का मार्ग होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का सम्मान आवश्यक है, लेकिन असहमति व्यक्त करने के तरीके भी मर्यादित एवं जिम्मेदार होने चाहिए। आंदोलन में प्रमुख रूप से महानगर छात्रा प्रमुख हर्षित कौर सहित प्रवीण, संकल्प, सुनय, भूषण, खुशबू, साक्षी, काजल, शिवम, कृष्णा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।